



**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (बीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
				अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1.	<p>में. बालाजी इंडस्ट्रीज प्रो. श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू एवं मेसर्स बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पार्टनर 1. श्री उत्तम साहू पिता श्री दुबेला साहू पार्टनर 2. श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू दोनों निवासी, वार्ड नंबर 7 वसंत कालोनी नरसिंगपुर रोड, छिंदवाड़ा</p> <p>गारंटियों के नाम :</p> <p>1. श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू</p> <p>2. श्री उत्तम साहू पिता श्री दुबेला साहू</p> <p>3. श्रीमती लीलाबाई साहू पत्नी श्री कस्तूरचंद साहू निवासी पटेल कॉलोनी पोला ग्राउंड, पटेल मंगल भवन के पास छिंदवाड़ा</p> <p><b>संबंधित शाखा:</b> मुख्य शाखा बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा (म.प्र)</p>	<p>रु. 10,67,41,128.00 + 4,53,84,891.00 + भविष्य व्याज + विधिक व्यय</p>	<p>1. साम्य बंधक भूमि/भवन: भूमि एवं मिल भवन, बी.नं. 69,प.ह.नं. 23,खसरा न. 89/5,हिन्दुस्तान युनीलीवर लिमिटेड के पास, वार्ड न. 16, मौजा कुसमेली, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल : 4050 वर्गमीटर , संपत्ति- स्वामी : श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	5,00,00,000/-
			<p>2. साम्य बंधक भूमि/भवन: आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2520/14,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 3218.50 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	91,50,000.00
			<p>3. साम्य बंधक भूमि/भवन: डायवर्टेड भूमि, बी.नं. 122,प.ह.नं. 34/50,खसरा न. 406/6, FCI गोडाउन के पास,मौजा रामघाटी तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) क्षेत्रफल- 8090 वर्गमीटर । संपत्ति स्वामी – श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	18,00,000/-
			<p>4) साम्य बंधक भूमि/भवन: डायवर्टेड भूमि, बी.नं. 516,प.ह.नं. 23,खसरा न. 318/4, अग्रवाल फ्लोर मिल के पीछे, मौजा लहगडूआ, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) क्षेत्रफल- 2910 वर्गमीटर । संपत्ति स्वामी – श्री उत्तम साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	24,00,000/-
			<p>5) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p> <p>नोट :उक्त सभी सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर 8226003772 है।</p>	रु	67,00,000/-
			<p>6) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	6,70,000/-
			<p>7) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	20,000/-
			<p>8) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	20,000/-
			<p>9) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	20,000/-
			2.	<p>श्री उत्तम साहू पिता श्री दुबेला साहू एवं श्रीमती प्रेमलता साहू पत्नी श्री उत्तम साहू दोनों निवासी, वार्ड नंबर 7 वसंत कालोनी नरसिंगपुर रोड, छिंदवाड़ा</p>	<p>रु. 1,04,18,759.00+60,70,085.00+ 78,60,866.00+71,15,531.00 +भविष्य व्याज + विधिक व्यय</p>
<p>2) साम्य बंधक भूमि/भवन: आवासीय मकान बी.नं. 177प.ह.नं. 22/19,खसरा न. 2141/48,2144/47, पीजी कॉलेज रोड वार्ड नंबर 7, कॉलेज रोड तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) क्षेत्रफल- 2400वर्गफीट । संपत्ति स्वामी – श्री उत्तमचंद साहू एवं श्रीमती प्रेम लता साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	1,40,00,000/-			
<p>3. साम्य बंधक भूमि/भवन: दुकान संख्या 48 भूतल (बिना छत अधिकार के) बी.नं. 69 प.ह.नं. 23,खसरा न. 121/01एवं 02,कृषि उपज मंडी कैम्पस,कवाडिया मेन रोड कुसमेली तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) क्षेत्रफल- 36.27 वर्गमीटर। संपत्ति स्वामी – श्रीमती प्रेम लता साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p> <p>नोट :उक्त सभी सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर 8226003772 है।</p>	रु	9,50,000/-			
<p>4) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	95,000/-			
<p>5) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	20,000/-			
<p>6) आवासीय संपत्ति, खुला प्लाट, बी.नं. 177,प.ह.नं. 22,खसरा न. 2521/9,पदम् काम्प्लेक्स एरिया के पीछे सिवनीप्राणमोती रोड, तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) रकबा 2420 वर्गफुट संपत्ति स्वामी - श्रीमती लीला बाई साहू</p> <p>कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p>	रु	20,000/-			
3.	<p>में.श्री नाग बिज्ञेस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड</p>	<p>रु. 1,12,50,212 + भविष्य व्याज + विधिक व्यय</p>	<p>1. साम्य बंधक भूमि/भवन: भूमि एवं औद्योगिक इकाई,प्लाट नंबर 11,12 पार्ट मौजा भुरकल खापा, इंडस्ट्रियल एरिया,सिवनी मंडला रोड तहसील + जिला सिवनी, (मप्र) क्षेत्रफल : 3600</p>	रु	23,87,000/-

<p>मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीधर लक्ष्मीचंद नाग निवासी वार्ड नंबर 5, हनुमान मंदिर के पास, स्टेट हाईवे 11A, सिवनी मंडला रोड केवलारी जिला सिवनी (म.प्र.) एवं डायरेक्टर श्री दक्षराज शिव पिता गुडन लाल शिव निवासी मकान नंबर 288, वार्ड नंबर 38, पोलिटिकनिक कॉलेज रोड, मोतीनगर बालाघाट (म.प्र.)</p> <p>गारंटरो के नाम : 1. श्री श्रीधर लक्ष्मीचंद नाग 2. श्री दक्षराज शिव पिता गुडन लाल शिव</p> <p><b>संबंधित शाखा:</b> केवलारी जिला सिवनी (म.प्र.)</p>	<p>वर्गमीटर , संपत्ति- स्वामी : श्री श्रीधर नाग कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा</p> <p>नोट : उक्त सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर 8226003797 है।</p>	रु	2,38,700/-
		रु	20,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं। ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है। ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 27.12.2023 साँय 7:00 बजे तक रहेगा ।

दिनांक: 06.12.2023 स्थान: छिंदवाडा (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - CHHINDWARA

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 28.12.2023

विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
28.12.2023	27.12.2023
समय - प्रातः 10.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक	साँय 7.00 बजे तक

### नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 28.12.2023 को (समय : प्रातः 10.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।  
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:  
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।  
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।  
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD)/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वॉलेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।  
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।  
**कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।**
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए ऑन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-B-क्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक

प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तों, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD)/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात् नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि ( ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 27.12.2023 साँच 7:00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD)/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3035067544	REGIONAL OFFICE EXPENSES AC	CBIN0282188 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाडा

निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा

के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने

वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति/यों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार/देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। ऑन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www.Centralbankofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा -मुख्य शाखा छिन्दवाडा, मो. 8226003772 एवं शाखा-केवलारी मो. 8226003729 से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री आर के यादव मो. 9109954645 एवं श्री सुरज कुंभारे मो. -8446568455, क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाडा, ईमेल- [recoverychiro@centralbank.co.in](mailto:recoverychiro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : छिन्दवाडा

दिनांक : 06.12.2023

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Near Old Punjab Bhavan, Narsingpur Road, Chhindwara – 480001.

Ph. 07162-236522, 8226003700, email – [recoverychiro@centralbank.co.in](mailto:recoverychiro@centralbank.co.in)